बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03/02–भू0अ0नि0राज्य यो0(आरोप)शिवहर–31/2023..2280 पटना, दिनांक :–20/03/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक 52 दिनांक 25.01.2023 द्वारा श्री तरूण कुमार साफी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04007) के विरूद्ध खानापुरी कार्य पूर्ण होने के तीन माह उपरान्त भी याद्दाश्त लेखन का कार्य पूर्ण नहीं करने, वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करने, मनमाने ढ़ंग से कार्य करने, अनाधिकृत अनुपस्थित रहने, मांगे गये स्पष्टीकरण का जबाब नहीं देने एवं जातिगत सहारा लेने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 1535 दिनांक 15.02.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है।

आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण इन पर लगाए गए आरोप के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि अन्य मौजा के कार्य में सहयोग करने एवं सर्वेक्षण कार्य में उत्पन्न समस्याओं के संबंध में सही समय पर मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने के कारण सर्वे कार्य में विलंब हुआ है। अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया गया है कि स्वास्थ्य खराब रहने के कारण अनुपस्थित थे। इनके द्वारा दलित समाज से आने का हवाला देते हुए कार्य में सहायता की मांग की गयी है अन्यथा की स्थिति में मानसिक रूप से विकलांग अथवा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग में जाने की धमकी दिए हैं।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया है कि आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि स्वास्थ्य खराब रहने के कारण अनुपस्थित थे, परन्तु इससे संबंधित चिकित्सक का प्रमाण पत्र छायाप्रति के रूप में संलग्न किया गया है, जिसमें यह अंकित है कि ये दिनांक 22.10.2022 से चिकित्सारत हुए हैं परन्तु कब तक रहे हैं, ये तो प्रमाण पत्र में अंकित ही नहीं है, जिससे प्रमाण पत्र की वैधता ही संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त इन पर जो आरोप प्रतिवेदित है, उस संदर्भ में कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि इनपर लगाए गए आरोपों को खंडित करता हो। साथ ही स्पष्टीकरण में वरीय पदाधिकारियों के विरूद्ध जातिगत सहारा लेते हुए धमकी दिया गया है, जो कि एक स्वच्छ एवं सदाचारी कर्मी का द्योतक नहीं है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपित द्वारा उनपर लगाए गए आरोपों से बचने के लिए इस प्रकार का तथ्य दिया गया है, जो कि नियमानुकूल नहीं है। इनका कृत्य स्वेच्छाचारिता एवं मनमानापन के साथ–साथ कार्य के प्रति अभिरूचि नहीं रखने जैसा है। ऐसे कर्मी को सेवा में बनाए रखने से इसका कुप्रभाव सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण आमनज के कार्य करने वाले अन्य कर्मी पर न पड़े, इसके दृष्टिगत इन्हें सेवा में बनाए नहीं रखा जा सकता है।

अतः **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)''** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री तरूण कुमार साफी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04007) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

20/3/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0राज्य यो0(आरोप)शिवहर–31 / 2023...2280... **पटना, दिनांक** :–20/03/2023

प्रतिलिपि :– श्री तरूण कुमार साफी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04007), बंदोबस्त कार्यालय, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0राज्य यो0(आरोप)शिवहर–31 / 2023...2280... **पटना, दिनांक** :–20/03/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0राज्य यो0(आरोप)शिवहर–31 / 2023...2280... **पटना, दिनांक** :–20/03/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
20/3/23